हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
मन्त्रीमण्डल शाखा

विषयः— **मंत्रिपरिषद के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करने बारे हिदायतें ।**

.......00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय पर इस अनुभाग के अश0 कमांक 10/3—2 मंत्रिमण्डल, दिनांक 13.04.2002, 10/11/2011—2 कैबिनेट, दिनांक 19.08.2011 एवं 31.10.2023 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगें, जिसके अनुसार अनुरोध किया गया था कि ज्ञापनों की हिन्दी व अग्रेजीं की प्रतियां मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ भिजवाई जाये ।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन प्रस्तुत करते समय इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी की गई हिदायतों का दृढता से पालन नहीं किया जा रहा है । प्रशासकीय विभागों द्वारा मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार करके प्रस्तुत किए जा रहे है और हिन्दी भाषा के लिये छूट ली जा रही है ।

3. तदानुसार सभी प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि भविष्य में मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तैयार करके मंत्रिपरिषद को भिजवाना सुनिश्चित करें । इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये । केवल अंग्रजी भाषा में तैयार ज्ञापनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विपिन कुमार
अधीक्षक, मंत्रिमण्डल ।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अश0 कमांक 10/11/2011—2 कैबिनेट

दिनांक 08.11.2024.